

डिकी मुकदमा इब्तादाई फाईनल

(ओ0 20 रूल 8-7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत उपजिला कलेक्टर वमुकाम टोडाभीम

व इजलास जगदीश आर्य (आर0ए0एस0)

उनवान

1.रमेशचंद पुत्र श्री सूवालाल

2.बलराम पुत्र श्री रामाधार

3.बबली पुत्री श्री रामाधार

4.पिंकी पुत्री श्री रामाधार

समस्त जाति नाई निवासी महमदपुर तहसील टोडाभीम जिला करौली - वादीगण

विरुद्ध

1.नंदराम पुत्र चौधरीया

2.पुखराम (मुखराम) पुत्र चौधरीया

3.धर्मवीर पुत्र कल्लन

समस्त जाति गुर्जर निवासी देवलेन तहसील टोडाभीम जिला करौली

-प्रतिवादीगण

दावा बाबत् इस्तकरार हक व स्थाई निषेधाज्ञा


अन्तर्गत धारा 88, 188 राज0टे0एक्ट



मुकदमा नं0 दावा - 137/2016

तारीख रजू - 29.11.2016


यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबई श्री राम भरोसी गुप्ता एडवोकेट वादी, प्रतिवादीगण एकतरफा कार्यवाही मिनकानिब गुदई रूबरू हमारे मिनजानिब मुदायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिकी दी जाती है कि दावा वादीगण बाबत् इस्तकरार हक व स्थाई निषेधाज्ञा खिलाफ प्रतिवादीगण डिकी किया जाकर भूमि खसरा नं0 2159 रकवा 0.43 हेक्टयर मे से रकवा 0.22 हेक्टयर ग्राम देवलेन तहसील टोडाभीम का वादी नं0 1 हिस्सा 1/2, वादी नं0 2 ता 4 हिस्सा 1/2 का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। उपतहसीलदार बालघाट को रेवन्यु रिकार्ड जमाबंदी मे अमल हेतु आदेश दिये जाते है तथा प्रतिवादीगण को पाबंद किया जाता है कि वे वादीगण के कब्जे काश्त मे रूकावट पैदा नही करे। वकिया इन्द्राज बदस्तूर रहेगा। बैंक रहन मुतर्हन का इन्द्राज बदस्तूर रहेगा।


उपजिला कलेक्टर
टोडाभीम (करौली)

निज मुबलिंग बाबत खर्चा इस मुकदमे के मय सूद वशरह

फीसदी सालाना आज की तारीख अदायगी तक का अदा करें।

बसबत मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 6.3.2017 को जारी की गई।


दस्तखत उप जिला कलेक्टर
दोहाभोम (करोल)
ओहदा

मुहर

मुदई	रूपया	पैसे	मुदायला	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जी दाबा		1	स्टाम्प अर्जी दाबा		
स्टाम्प वकालत नामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजय सवूत			महन्ताना वकील		
महन्ताना वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			फीस कमिश्नर		
फीस कमिश्नर			बाबत इजराय हुक्मनामा		
बाबत इजराय हुक्मनामा			मुतफरिक		
मुतफरिक			मीजान		
मीजान					

नोट:- इस खर्चा के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का चाहे डिक्के के जरिये दिखाया

हो या नही दर्ज कराना चाहिए।

